आरएफपी संदर्भ सं -NHB/ITD/RFP-MPLS / OUT03341/2020

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) –

राष्ट्रीय आवास बैंक के सभी स्थानों/कार्यालयों में प्रबंधित एमपीएलएस वीपीएन सेवाओं का कार्यान्वयन

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003
फोन: 011-39187187, 011-39187113
ई-मेल: munish.bhutani@nhb.org.in, Susanta.padhi@nhb.org.in

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री प्रारंभ करने की तिथि	26/05/2020
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व बैठक (तिथि एवं समय)	05/06/2020 1500 Hrs
3.	बोली दस्तावेजों की बिक्री की अंतिम तिथि	17/06/2020 1700 Hrs
4.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय	17/06/2020 , 1800 Hrs
5.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	18/06/2020 1200 Hrs
6.	बयाना जमा-राशि	2,00,000/- (दो लाख मात्र)
7.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रधान कार्यालय कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

टिप्पणी: -

- **बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपरोक्त में भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल के माध्यम से या रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने पर दी जाएगी इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि व्यावसायिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थान बाद की तारीख में तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को सूचित की जाएगी।**

- **इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना को रिपोर्ट किया जाए एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख को माना जाएगा।**

2. **राष्ट्रीय आवास बैंक का परिचय**

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत की गई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:

- आबादी के सभी वर्गों को की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- अधिनियम के तहत प्राप्त विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति केर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रात्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद में है।

3. **प्रयोजन:**

राष्ट्रीय आवास बैंक (अब के बाद इसे बैंक कहा जाएगा) जिसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है, अपने सभी स्थानों/कार्यालयों में सम्पूर्ण मैनेज्ड सीपीई टू सीपीई, आईपी एमपीएलएस वीपीएन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिष्ठित बोलीदाताओं (बिडर) (सेवा प्रदाता) को नियुक्त करना चाहता है ।

आरएफपी का प्रयोजन बैंक के सभी स्थानों/कार्यालयों जोड़ने वाली सम्पूर्ण मैनेज्ड (सीपीई टू सीपीई), आईपी एमपीएलएस वीपीएन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सेवा प्रदाता का चयन करना है ।

- आरएफपी दस्तावेज में उस सूचना से विवरणियां ली गई हैं जिन्हें आज की तारीख पर संगत समझा गया किन्तु इसका उद्देश्य वह सभी सूचना उपलब्ध कराना नहीं है जो एक इच्छुक अनुबंधकर्ता जानना चाहता हो ताकि वह निर्णय कर सके कि रा.आ.बैंक के साथ अनुबंध किया जाय या नहीं । ना तो रा.आ.

बैंक या उसका कोई कर्मचारी, एजेंट, अनुबंधकर्ता या परामर्शदाता किसी सूचना या इस दस्तावेज में दिये गए विवरण को सही या पूरा होने का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी, लिखित या अन्तर्निहित, देता है । ना तो रा.आ. बैंक या उसका कोई कर्मचारी, एजेंट, अनुबंधकर्ता या परामर्शदाता ने इस दस्तावेज के किसी भी भाग की विषय वस्तु का स्वतंत्र आडिट या सत्यापन किया या करेगा ।

- बशर्ते किसी कानून के विपरीत न हो, और कानून द्वारा अधिकांशतः अनुमत्य हो, रा.आ.बैंक और उसके अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट, अनुबंधकर्ता और परामर्शदाता किसी व्यक्ति को कार्य करते हुए या कार्य से इंकार करने पर हुए किसी नुकसान या क्षति (पूर्वानुमान हो या न हो) का दायित्व लेने से इंकार करता है क्योंकि कोई भी सूचना यथा पूर्वानुमान, कथन, अनुमान या इस आरएफपी में शामिल प्रोजेक्शन या उससे संबंधित सहायक कार्य चाहे किसी लापरवाही, चूक, गलती, सावधानी की कमी या रा.आ.बैंक या उसके अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट, अनुबंधकर्ता और परामर्शदाता द्वारा गलत प्रतिनिधित्व से कोई नुकसान या क्षति हुई हो ।

4. वर्तमान सेटअप

रा.आ. बैंक का केन्द्रीकृत सेटअप **डाटा सेंटर (डीसी) नई दिल्ली** मे है और **डिसास्टर रिकवरी (डीआर) साइट मुम्बई** में है। सभी एप्लीकेशंस को डाटा सेंटर, नई दिल्ली में हास्ट किया जाता है और MPLS VPN WAN/ इंटरनेट पर सभी कार्यालयों/स्थानों पर प्राप्त किया जाता है। रा.आ. बैंक की वर्तमान में दिल्ली, मुम्बई और अन्य कार्यालयों के बीच MPLS कनैक्टीविटी है जो निम्नानुसार है:

क. वाइड एरिया नेटवर्क (एमपीएलएस)

वर्तमान में रा.आ.बैंक की नई दिल्ली, मुम्बई और अन्य कार्यालयों के बीच एमपीएलएस वीपीएन कनैक्टीविटी है जो निम्नानुसार है । अन्य कार्यालय कनैक्ट नहीं हैं । एमपीएलएस वीपीएन सेवाएं प्रबंधित मोड में हैं।

क्रम सं.	स्थान	बैंडविडथ
1	नई दिल्ली	32 एमबीपीएस
2	मुम्बई	8 एमबीपीएस
3	अहमदाबाद	1 एमबीपीएस
4	बैंगलोर	1 एमबीपीएस
5	कोलकाता	1 एमबीपीएस
6	हैदराबाद	1 एमबीपीएस

ख. स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क

नई दिल्ली और मुम्बई कार्यालयों में LAN लेयर 3 और लेयर 2 स्विचेज पर आधारित है । लोकेशनों पर प्रयुक्त स्विचेज मैनेज्ड हैं। सभी स्विचेज रा.आ.बैंक की सम्पत्ति है और संबंधित वेंडरों की वारंटी/एएमसी पर हैं ।

- दिल्ली और मुम्बई बैंक में सिस्को सिरीज स्विचेज लगे हैं ।
- दिल्ली और मुम्बई बैंक में सिस्को एएसए फायरवाल्स लगा है ।
- अन्य कार्यालय एमपीएलएस पर मुख्यालय से जुड़े हैं। कार्यालय एमपीएलएस वीपीएन पर बैंक की होस्ट आईटी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क के साथ परिसर एमपीएलएस वीपीएन उपकरण वर्तमान एमपीएलएस वीपीएन कनेक्टिविटी प्रदाता द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- नेटवर्क इन्वेंट्री की व्यापक सूची के लिए 3.घ.2 का संदर्भ लें।

ग. एप्लीकेशन/इंटरनेट/इंटरानेट आदि

- बैंक ने अपने कार्यालयी वातावरण के प्रबंधन के लिए डोमेन नियंत्रक (डीसी) और एडीसी स्थापित किया है।
- बैंक ने अपने सभी व्यावसायिक कार्यों के लिए सैप ईआरपी सिस्टम को कार्यांवयित किया है ।
- मेलिंग सॉल्यूशन (एमएस एक्सचेंज) डीसी साइट पर दो प्राथमिक सर्वर और डीआर साइट पर एक माध्यमिक सर्वर के साथ उच्च उपलब्धता प्रणाली (डीएजी) में उपलब्ध है। दिल्ली कार्यालय के उपयोगकर्ता एमएस आउटलुक पर लेन के माध्यम से कॉर्पोरेट मेल का एक्सेस करते हैं। अन्य कार्यालय एमपीएलएस से कॉर्पोरेट मेल का एक्सेस करते हैं। इंटरनेट पर आउटलुक वेब एक्सेस (ओडब्ल्यूए) के माध्यम से सभी रा.आ.बैंक अधिकारियों के लिए ईमेल सेवा भी उपलब्ध है।
- इंटरनेट डेडीकेटेड बैंडविथ दो भिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा दिल्ली में उपलब्ध कराई गई है और इंटरनेट ब्राडबैंड मुम्बई में उपलब्ध है । बैंडविथ का प्रयोग इंटरनेट ब्रोशिंग और अन्य वेब आधारित सेवाओं के लिए किया जाता है ।
- राआबैंक ने अपने नई दिल्ली कार्यालय में वेब कैचिंग के साथ प्राक्सी सर्वर लगाया है, प्रयोक्ता प्राधिकृत करने और यूज़र इंटरनेट एक्सेस नियंत्रित करने के लिए डीसी में वेब कान्टेंट फिल्टिरिंग इंटीग्रेटेड विद एक्टिव डायरेक्टरी अपनाई है । इसके अतिरिक्त बैंक ने सिस्को एएसए 5510 (फायरवाल्स) और सुरक्षा के लिए एंटीवायरस को लागू किया है । इसके अलावा, बैंक ने सुरक्षा हेतु सिस्को एएसए फायरवाल तथा एंटीवायरस सोल्यूशन कार्यांवयित किया है।
- एपीसी सेंट्रल लॉग मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रशासकों के लिए स्पष्ट तरीके से महत्वपूर्ण उपकरणों / सर्वरों हेतु सिस्टम लॉग को कैप्चर और वितरित करने के लिए नई दिल्ली में कार्यांवयित किया जाता है।
- बैंक अपने ट्रेजरी विभाग में न्यूज़वायर 18, रॉयटर्स जैसी सेवाओं का उपयोग वित्तीय और ट्रेजरी मार्केट में हो रहे विकास पर नज़र रखने के लिए करता है।

- स्थापना

घ 1. मौजूदा नेटवर्क डायग्राम

दिल्ली नेटवर्क डायग्राम

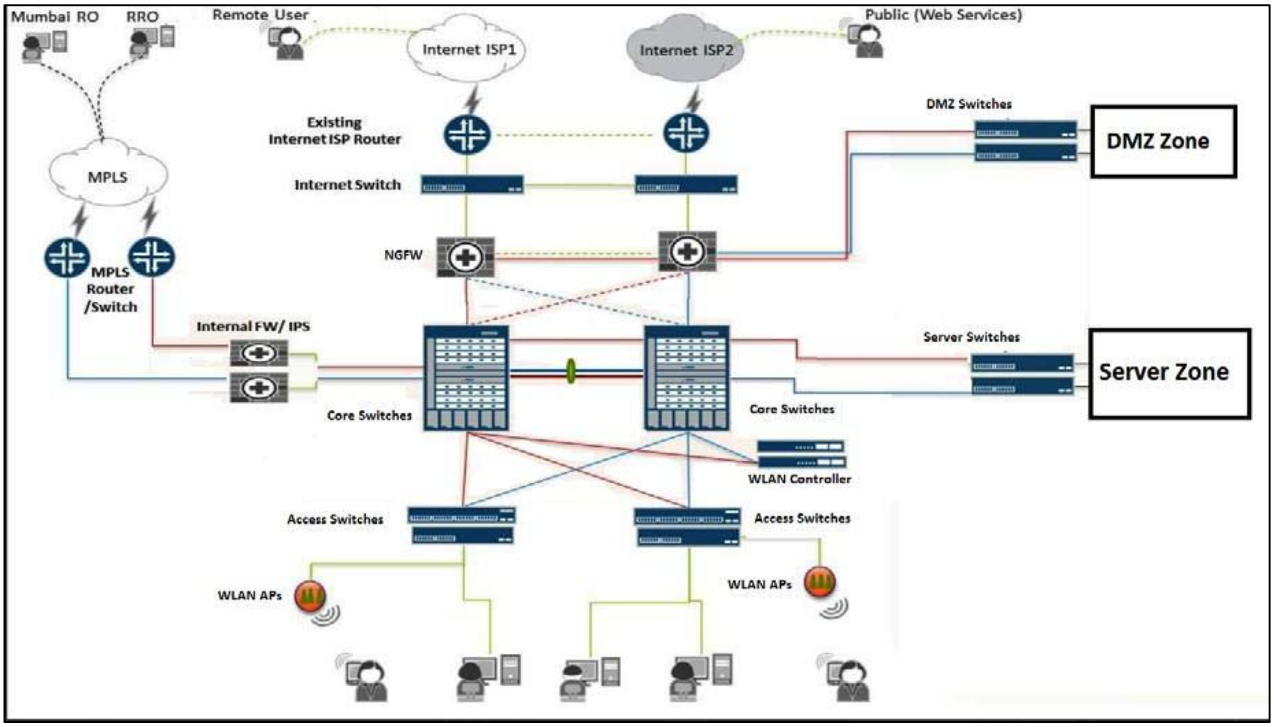

मुम्बई नेटवर्क डायग्राम

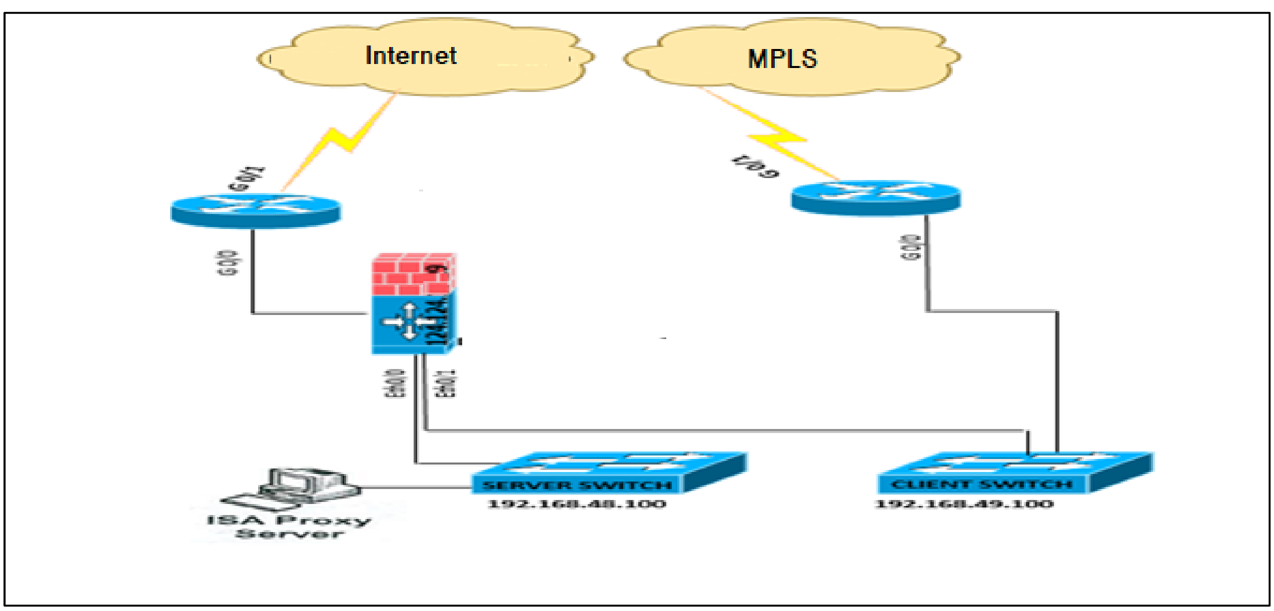

घ.2: नेटवर्क उपकरण

बैंक के नेटवर्क में निम्नलिखित नेटवर्क उपकरण शामिल हैं:

तालिका अंग्रेजी अनुसार

- जैसा कि ऊपर बताया गया है कि आरआरओ साइट्स प्रबंधित एमपीएलएस पर डीसी साइट से जुड़ी हैं।

5. उद्देश

- रा.आ.बैंकें सम्पूर्ण मैनेज्ड सीपीई टू सीपीई, आईपी एमपीएलएस वीपीएन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिष्ठित सेवा दाताओं को नियुक्त करना चाहता है ।
- इस एमपीएलएस सेवा में शामिल है नेटवर्क डिजायनिंग, कनैक्टीविटी के लिए सभी संबंधित सॉफ्टवेयर, नेटवर्क हार्डवेयर पट्टे पर उपलब्ध कराना, लास्ट माइल, बैंडविथ, अधिष्ठापन, विनिर्देशन, हार्डनिंग, अनुरक्षण सहायता, LAN/WAN से समेकन, प्रोएक्टिव मानीटरिंग एवं रिपोर्टिंग, चेंज मैनेजमेंट, माइग्रेशन, प्रशिक्षण आदि, एसएलए बाइडिंग बिडर (सेवा प्रदाता) से अपटाइम तक और एप्लीकेशन/सर्विस गुणवत्ता वायदा ।
- अनुबंध की अवधि 5 वर्ष होगी और वार्षिक समीक्षा व नवीकरण होगा ।
- चयनित बिडर रियल टाइम ट्रेफिक / नॉनरियल ट्रेफिक/बिजनेस ट्रेफिक के लिए बहुआयामी CoS उपलब्ध कराएगा ।
- चयनित बिडर रा.आ.बैंक के सभी स्थानों/कार्यालयों में एमपीएलएस राउटर्स का अनुरक्षण भी करेगा ।
- चयनित बिडर रा.आ.बैंक के सभी स्थानों/कार्यालयों में आईपी एमपीएलएस वीपीएन सेवाएं देगा और रा.आ.बैंक द्वारा यथा अपेक्षानुसार नई साइटें की अनुबंधित दरों पर उपलब्ध करानी होंगी।
- चयनित बिडर प्रारम्भिक अनुबंधित मूल्य से बैंडविथ को परिचालनात्मक अपेक्षाओं के अनुसार उच्च/निम्न वैल्यू पर अपग्रेड करेगा ।
- चयनित बिडर आरएफपी की शर्तों के अनुसार वर्तमान या भावी रा.आ.बैंक स्थान पर मौजूदा परिसर को स्थानांतरित करने के मामले में, उपकरण को स्थानांतरित करेगा और नए स्थान पर एमपीएलएस वीपीएन कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
- बोलीदाता IPV4 और IPV6 एड्रेसिंग स्कीम का समर्थन करेगा।
- इस आरएफपी को जारी करने का उद्देश्य रा.आ.बैंक के सभी स्थानों/कार्यालयों में आईपी एमपीएलएस वीपीएन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए सेवा प्रदाताओं का चयन करने के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक बिड आमंत्रित करता है ।
- यह भी ध्यान रखा जाए कि आईटी परिचालन में सभी कार्यकलापों की लेखा परीक्षा होगी/सुरक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा । चयनित बिडरों को ध्यान रखना चाहिए जब वे वांछित सेवाएं उपलब्ध कराएं ।

6. कार्य-क्षेत्र :

कार्य क्षेत्र के लिए कृपया अँग्रेज़ी आरएफपी का सन्दर्भ लें।

7. संविदा की अवधि :

संविदा की अवधि सेवा की विगत अवधि के दौरान कार्य-निष्पादन समीक्षा के आधार पर वार्षिक नवीनीकरण के अधीन कार्य आदेश जारी करने / परियोजना के साइन ऑफ की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगी।

8. बोलीदाताओं को निर्देश

8.1 सामान्य:-

- विकास, तैयारी, और प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो और रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।

- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।

- प्रत्येक प्राप्तकर्ता यह मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र परामर्शदाता/ओं को छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।

- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।

- बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें

<u>सुषांत कुमार पाढ़ी</u> **उप महाप्रबंधक (आईटी)** **ई-मेल:** **susanta.padhi@nhb.org.in** **टेलीफोन : 011-39187113; 01139187000-एक्सटेंशन : 113** **फैक्स: +91 - 11 – 24649432**	**<u>मुनीष भुटानी</u>** **क्षेत्रीय प्रबंधक (आईटी)** **ई-मेल:** **munish.bhutani@nhb.org.in** **टेलीफोन: 011-39187187; 01139187000- एक्सटेंशन 187** **फैक्स: +91 - 11 – 24649432**

- रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर आरएफपी/निविदा के बंद होने के पश्चात किसी भी बोलीदाता से कोई अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है और दी जाने वाले ऐसी सभी सूचना और सामग्री बोलीदाता के प्रत्युत्तर का भाग होनी चाहिए।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।

- यदि रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर यह पाए कि प्रश्न के प्रत्युत्तर से प्रश्न के प्रणेता को लाभ होगा तो रा.आ. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऐसे प्रत्युत्तर को सभी बोलीदाताओं को सूचित करें।

- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो उपर्युक्त संपर्क व्यक्ति से सोमवार से शुक्रवार, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रात: 10 से सायं 6 बजे के बीच बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा से पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- बोलीदाता को भारत सरकार के किसी भी विभाग/पीएसयू/बैंकों/भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट/वंचित न किया गया हो।

- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।

- चयन प्रक्रिया में तीन चरण शामिल हैं, 1) न्यूनतम पात्रता मानदंड 2) तकनीकी मूल्यांकन और 3) वाणिज्यिक मूल्यांकन। अपनाए जाने वाले मूल्यांकन मानदंड टेक्नो-कमर्शियल यानी क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिस्टम (क्यूसीबीएस) पर आधारित होंगी, जहां तकनीकी बोली स्कोर को 70 और कमर्शियल बिड स्कोर को 30 का वेटेज मिलेगा।

- न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा करने वाली बोलियां अतिरिक्त मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी और उसके बाद न्यूनतम पात्रता मानदंड और तकनीकी मूल्यांकन दोनों पूरा करने वाली बोलियां वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी।

8.2 बोली पूर्व बैठक

इस निविदा/आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ, रा.आ.बैंक आरएफपी में इंगित की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में बोली पूर्व बैठक से 2 दिन पूर्व ईमेल द्वारा या पोस्ट द्वारा उपरोक्त पते पर पहुंच जाना चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

8.3 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

8.4 निविदा/आरएफपी की गैर हस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

8.5 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी फोर्म में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकर पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरुपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.6 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति हेतु अंतिम समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ.बैंक किसी भी कारण से बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन/सुधार करते हुए संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। बोलीदाता/ओं द्वारा किसी भी प्रकार के चूक के मामले में रा.आ.बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

8.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

8.8 आच्छादित वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता को (राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार) वास्तविक मूल्य बोली की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए जो वास्तविक मूल्यों का प्राच्छादन करके राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत की जा रही है । **यह अनिवार्य है ।** बोली अयोग्य ठहराई जा सकती है, यदि इसे उचित रूप से प्राच्छादन करके प्रस्तुत नहीं किया जाता है । राष्ट्रीय आवास बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय बोली / निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि (मूल्य के अतिरिक्त) आच्छादित वाणिज्यिक बोली का फॉर्मेट/विवरण प्रस्तुत की गई वास्तविक वाणिज्यिक बोली के फॉर्मेट/विवरण के साथ मेल नहीं खाता है ।

8.9 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास आरएफपी में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर आरएफपी में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

8.10 बोली में शामिल दस्तावेज (यदि प्रारूप में कोई अनुदेश अलग से निर्धारित किए गए हैं तो कृपया उनका पालन करें)

1. **अनुलग्नक I** में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी।
2. **अनुलग्नक II** में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता का अनुभव विवरण।
3. **अनुलग्नक III** में निर्धारित प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा।
4. **अनुलग्नक IV** में निर्धारित प्रारूप में विचलनों की सूची, यदि कोई हो।
5. **अनुलग्नक V** में निर्धारित प्रारूप में न्यूनतम पात्रता पर जानकारी।
6. **अनुलग्नक VI** में तकनीकी बोली कवरिंग पत्र ।
7. तकनीकी बोली को **अनुलग्नक VII** में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
8. **अनुलग्नक VIII** में निर्धारित प्रारूप में वाणिज्यिक बोली कवरिंग पत्र।
9. वाणिज्यिक बोली को **अनुलग्नक IX** में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
10. लोकेशन की श्रेणी को अनुलग्नक X में निर्धारित किया गया है।
11. लोकेशन की सूची तथा बैंडविड्थ आवाश्यकता को अनुलग्नक XI में निर्धारित किया गया है।
12. लोकेशन का पता तथा संपर्क विवरण अनुलग्नक XII में निर्धारित किया गया है।
13. **अनुलग्नक XIII** में निर्धारित प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
14. **अनुलग्नक XIV** में निर्धारित प्रारूप में सक्षमता पत्र;
15. अनुलग्नक XV में निर्धारित प्रारूप में विनिर्माता प्रमाणीकरण प्रपत्र।
16. **अनुलग्नक XVI** में प्रारूप में प्रमुख कार्मिक का बायोडेटा (सीवी);
17. **अनुलग्नक XVII** में प्रारूप में रिसोल्यूशन मैट्रिक्स ;
18. **अनुलग्नक XVIII** में प्रारूप में संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता (जहां भी लागू हो) *(संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्राधिकृत हसताक्षरी द्वारा विधिवत हसताक्षर किए 100/- रू. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सही तरीके से टंकित कर प्रस्तुत करना होगा और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से भी हस्ताक्षर किया जाएगा। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तारीख होनी चाहिए)*
19. **अनुलग्नक XIX** में निर्धारित सेवा स्तरीय करार
20. **अनुलग्नक XX** में निर्धारित गोपनीयता – सह – अप्रकटीकरण करार
21. **अनुलग्नक XXI में** निर्धारित बैंक गारंटी का प्रारूप

टिप्पणी: ईएमडी राशि के बिना बोलीयां अस्वीकार कर दी जाएगी।

8.11 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रुपए में उद्धृत होंगी। भारतीय रूपए के अलावा किसी अन्य मुद्रा में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.12 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

क. सभी बोलियां **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में ई भुगतान के माध्यम से 2,00,000 रूपये (दो लाख रूपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि के साथ होनी चाहिये।

खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है::

क्र. सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर ए 5, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र , लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
4	लाभार्थी के बैंक की शाखा का पता	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कांपलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं .	52142903844
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBIN0020511
8	एमआईसीआर सं .	110004005

(ख)भुगतान का सबूत संलग्न होना चाहिए तथा तकनीकी बोली लिखकर लिफाफे में रखा जाना चाहिए; जिसकी अनुपस्थति में बोली आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं की जा सकती। बोलीदाता को ईसीएस अधिदेश प्रपत्र, जैसा **अनुलग्नक XIII** में संलग्न है, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ग) यथोचित प्रारूप तथा प्रणाली में ईएमडी के बिना प्राप्त कोई भी बोली अनुत्तरदायी और अस्वीकार की जाएगी।

(घ) ईएमडी से छूट हेतु अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(च) निश्चित करार में या इसमें प्रदान की गई या अन्यथा जमा की गई, सभी असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी राशि कार्य / अनुबंध सौंपने के बाद _30 दिनों या उससे पहले निविदा प्रक्रिया के पूरा होने पर पहले वापस कर दी जाएगी।

(छ) निश्चित करार में या इसमें प्रदान की गई या अन्यथा जमा की गई, सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि एसएलए के निष्पादन और आरएफपी की शर्तों के अनुसार कुल अनुबंध मूल्य के _______ / __ 10_% तक की राशि के लिए पीबीजी जमा करने के बाद वापस कर दी जाएगी।

(ज) ईएमडी सुरक्षा जब्त की जा सकती है:

- यदि बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली/बोलियां आहरित कर लेता है;
- संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी समय यदि बोलीदाता कोई बयान देता है अथवा कोई प्रारूप संलग्न करता है जो झूठ/गलत पाया जाता है;
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल हो जाता हैः तथा
- अनुबंध-पूर्व प्रमाणिकता पैक्ट के किसी भी उल्लंघन के मामले में।

8.13 कार्यान्वयन अनुसूची

क. बोलीदाता नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार सेवाओं की डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होगा

- बोलीदाता को कार्य आदेश की तिथि से 8 सप्ताह के भीतर डीसी और डीआर स्थानों पर और कार्य आदेश की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर रा.आ.बैंक आरआरओ स्थान पर आईपी एमपीएलएस वीपीएन कार्यांवयित करना होगा।
- रा.आ.बैंक स्वीकृति परीक्षण करेगा और एक सप्ताह की अवधि के लिए मौजूदा नेटवर्क के समानांतर नेटवर्क चलाएगा।
- बिलिंग चक्र सभी स्थानों के लिए स्वीकृति परीक्षण के सफल समापन के बाद शुरू होगा। साइन-ऑफ की तिथि को बिलिंग चक्र की शुरुआती तिथि और नवीनीकरण के बाद माना जाएगा।
- आरएफपी के प्रत्युत्तर में प्रस्तावित किसी भी स्थान / कार्यालयों में गैर-कार्यान्वयन की स्थिति में, बोलीदाता प्रस्तावित कनेक्टिविटी कार्यांवयित होने तक अस्थायी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। समान्तर में बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित कनेक्टिविटी अस्थायी कनेक्टिविटी प्रदान करने के एक महीने के भीतर प्रदान की गयी है।
- अस्थायी कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में सभी लागत बोलीदाता [सेवा प्रदाता] को वहन करनी होगी।
- आरएफपी की शर्तों के अनुसार एसएलए के निष्पादन के बाद ही बिलिंग चक्र शुरू होगा।

8.14 कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)

चयनित बोलीदाता को **अनुलग्नक- XXI** में निर्दिष्ट मुलत: निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में संविदा की कुल लागत का __10__% प्रदान करना होगा। पीबीजी को संविदा अवधि समाप्त होने के कम से कम __3___ महीनों या रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य विस्तारित अवधि के लिए वैध होना चाहिए। सफल बोलीदाता द्वारा गैर-निष्पादन या आरएफपी नियम में चूक के जोखिम समेत श्रम कानून या कोई अन्य कानूनों/ नियमों/ विनियमों एवं प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अननुपालन के विरुद्ध रा.आ.बैंक के हित की रक्षा के लिए पीबीजी की आवश्यकता है। संविदा की शर्तों के सफल कार्यान्वयन में चूक पीबीजी के वारंट के आह्वान को वारंट कर सकता है, तथा यदि परामर्शदाता की किसी गतिविधि के कारण परिनिर्धारित हर्जाना/ अर्थदंड लगाया जाता है तो रा.आ.बैंक ऐसे उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी आह्वान करने का अधिकार रखता है। लागू सांविधिक प्रावधानों आदि के गैर-अनुपालन सहित गैर-निष्पादकता या आरएफपी शर्तों में चूक पर रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा एवं सफल बोलीदाता पर बाध्य होगा।

8.15 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित कीमतें तथा अन्य शर्तें रा.आ.बैंक द्वारा स्वीकृत वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से छ: माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

- असाधारण परिस्थितियों में रा.आ. बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली प्रतिभूति/ईएमडी भी बढ़ा दी जाएगी।

8.16 बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

प्रत्येक बोली दो भागों में जमा होगी:

- **भाग I**: न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली तथा आच्छदित वाणिज्यिक बोली शामिल है [किसी भी मूल्य को छोड़कर बोली मूल्य] हैं। उपरोक्त कंटेन्ट **"तकनीकी प्रस्ताव"** के रूप में संदर्भित किए जाएंगे।

- **भाग II** : **:"वाणिज्यिक प्रस्ताव"** के रूप में संदर्भित होने के बाद केवल वाणिज्यिक बोली कवर करेंगे,

- वास्तविक बोली पक्की स्याही से टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए तथा संविदा के बोलीदाता के लिए बाध्य विधिवत प्राधिकृत एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षित होनी चाहिए। व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जो बोली हस्ताक्षर कर रहे हैं, असंशोधित मुद्रित साहित्य के अलावा बोली के सभी पृष्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

8.17. बोलियों की मुहरबंदी एवं चिह्नांकन

- सभी लिफाफे नीचे दिये पते पर रा.आ. बैंक को भेजे जाएंगे:

उप महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केन्द्र
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा होना चाहिए।

- बोलीदाता तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को अलग-अलग मुहर बंद करेगा।

- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और यथा लागू इसके ऊपर "रा.**आ.बैंक के सभी स्थानों/ कार्यालयों में प्रबंधित आईपी एमपीएलएस वीपीएन के कार्यांवयन हेतु तकनीकी प्रस्ताव", तथा "रा.आ.बैंक के सभी स्थानों/ कार्यालयों में प्रबंधित आईपी एमपीएलएस वीपीएन के कार्यांवयन हेतु वाणिज्यिक प्रस्ताव"** अलग से लिखा हो।

- यदि लिफाफों मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गया तो रा.आ.बैंक बोलियों के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और सहारा के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगी।

8.18 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि की स्थिति में, यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जाएगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट पर सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

8.19 विलंब से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त कोई भी बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

8.20 रा.आ.बैंक बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तिथि और समय पर, बोलीदाता प्रतिनिधियों की उपस्थिति में रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलियाँ खोली जाएंगी जो निर्धारित तिथि और समय पर बैठक में भाग लेंगी।

- **तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान:**

- बोलीदाता का नाम और अपेक्षित ईएमडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति और अन्य विवरण रा.आ.बैंक अपने विवेकानुसार उपयुक्त मान सकता हैं, जिसकी घोषणा तकनीकी बोली खोलने के समय की जाएगी।

8.21 बोलियों पर स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व विवेकानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स/ई-मेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.22 प्रारंभिक जांच

- रा.आ.बैंक यह निर्धारित करने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं आदि।

- रा.आ.बैंक स्व एकमात्र विवेकानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बोली की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

8.23 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सहायक दस्तावेज तब तक रा.आ.बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ.बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

8.24 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर रा.आ.बैंक द्वारा सौपे गए कार्य को किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपने स्वयं की सेवा/समर्थन अवसंरचना के द्वारा ही निपटाएगा।

8.25 कीमत संघटन एवं व्युत्पन्न

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

8.26 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

8.27 मैनुअल/डॉइंग

बोलीदाता संविदा की अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई सेवाएं के लिए संपूर्ण तकनीकी एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होने चाहिए और उपलब्ध कराई गई सेवाएं सप्ष्ट तौर पर उल्लिखत होनी चाहिए।

8.28 बोली मूल्यांकन

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

8.28 संशोधन एवं वापसी

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

- बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि बोली पूर्व बैठक के बाद ही बोलियाँ प्रस्तुत करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति/गैर-वितरण के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

8.29 कीमतों को प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

8.30 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है अनुबंध- IV के अनुसार विचलन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए, इस आरएफपी पर लागू अनुबंध के नियम और शर्तें उनके लिए स्वीकार्य नहीं हैं। बोलीदाताओं को यह भी स्पष्ट रूप से वर्णन करना होगा कि वस्तुओं और सेवाओं को किस रूप में और किस सीमा तक विनिर्देशों और आवश्यकताओं में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अलग से प्रस्तावित

किया जा रहा है।

8.31 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो संविदा के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

8.32 रा.आ.बैंक से सपंर्क करना या बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से संविदा प्रदान होने तक इस बोली से संबंधित किसी भी मामले पर रा.आ.बैंक या इसके सेवा प्रदाताओं के सार्थ संपर्क करना मना है। बोलीदाता की ओर से बोली मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने या संविदा प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करने पर बोली निरस्त किया जा सकता है।

8.33 प्रस्ताव की सामाग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रकिया का मुख्य विषय है। इसीलिए यह आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

8.34 प्रतिबंधित या सूची से निकाले गए बोलीदाता

बोलीदाता को एक घोषणा देनी पड़ती है कि उन्हें किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित या सूची से निकाला नहीं गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है तो इस तथ्य को स्पष्ट करना होगा। यदि यह घोषणा नहीं की जाती है, तो बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा। यह घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

8.35 कानूनों का अनुपालन

(क) बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके कारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा

असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारी वर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

(ख)बोलीदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

(ग) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह संविदा नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस संविदा के तहत ठेकेदार के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8.36 बौद्धिक संपदा अधिकार

बोली लगाने वाले को बोलीदाता के रूप में उसके चयन की स्थिति में वारंट:

(क)इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले इनपुट, किसी भी प्रकृति के कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित किसी भी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।

(ख)यह आगे की गारंटी देता है कि वितरित किसी भी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों, कॉपीराइट, पेटेंट और किसी भी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित, का उल्लंघन नहीं करेगा।

(ग) ऐसी स्थिति में जब प्रदेय तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन या उल्लंघन के दावे का विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा और व्यय पर: (क) ऐसे प्रदेय का उपयोग जारी रखने हेतु रा.आ.बैंक के लिए खरीद का अधिकार; (ख) ऐसे प्रदेय को बदलने या संशोधित करने के लिए उन्हें गैर- उल्लंघनकारी बनाकर प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि समान कार्य प्रतिस्थापन या संशोधित प्रदेय द्वारा उल्लंघनकारी प्रदेय के रूप में किया जाता है; अथवा (ग) यदि उपयोग करने का अधिकार खरीद नहीं हो सकता या प्रदेय को प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जा सकता तो प्रदेय की विवरणी को स्वीकार कर सकते हैं और ऐसे प्रदेय के लिए बोलीदाता को दी गई किसी भी राशि के लिए साथ ही रा.आ. बैंक द्वारा लगाए गए दंड के अतिरिक्त समान उपकरणों की खरीद के लिए रा.आ. बैंक द्वारा किए गए प्रतिस्थापन लागत रा.आ. बैंक को प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। तथापि, इस संबंध में रा.आ. बैंक किसी भी तरह के व्यय, प्रभार, शुल्क या किसी प्रकार की लागतों को

नहीं उठाएगा। मौजूदा उपायों के बावजूद, बोलीदाता प्रस्तावित समाधान का उपयोग करने के लिए रा.आ. बैंक की असमर्थता के कारण यदि सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है तो दंड के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

(घ) बोलीदाता स्वीकार करता हैं कि व्यापार तर्क, कार्य प्रवाह, प्रतिनिधिमंडल और रा.आ. बैंक के निर्णय लेने की प्रक्रिया और समर्पण संवेदनशील व्यापार प्रकृति के हैं और इसलिए इसे अन्य ग्राहकों, एजेंट या सॉफ़्टवेयर के वितरकों को नहीं भेजा जाएगा। यदि परियोजना के क्षेत्र में वर्णित परियोजना के वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाता है और यदि आरएफपी में उल्लिखित की गई विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रणाली प्रक्रियाओं को सुधारनें में असमर्थ है, तो इस परियोजना को अपूर्ण माना जाएगा।

8.37 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदिनिविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गर्यी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती हैतो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

क. यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल धरोहर राशि/ईएमडी जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ख. यदि ऐसा विवरण अनुबंध चरण में पाया जाता है, तो रा.आ.बैंक अपने विवेकानुसार पीबीजी के आह्वान सहित अनुबंध को समाप्त करने के लिए आरएफपी में प्रदान किये गये अनुसार उचित कार्रवाई करेगा।

9. बोलियां (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) एवं बोली के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

10. वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें

बोलीदाताओं से इस परियोजना के लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तें नोट करने का अनुरोध किया जाता है :-

11. मूल्य

क) बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य में इस आरएफपी के वाणिज्यिक बोली प्रारूप के अनुसार सभी प्रकार की लागत शामिल होनी चाहिए।

ख) कीमत पांच साल की पूर्ण अनुबंध अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

ग) मूल्य में सभी करों (जीएसटी को छोड़कर), कर्तव्यों, लेवी शुल्क, परिवहन, बीमा, वाणिज्यिक बोली के अनुसार शामिल होना चाहिए।

घ) गबोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य बोलीदाता के अनुबंध के कार्य निष्पादन के दौरान स्थिर रहेगा, यानी, पांच साल की अवधि के लिए जिसे रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक होने पर बढ़ाया जा सकता है।

ङ) समायोज्य मूल्य उद्धरण के साथ प्रस्तुत बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा।

च) अनुबंधित दरों के आधार पर, रा.आ.बैंक अपने विवेक पर पिछले वर्ष / असाइनमेंट के कार्य निष्पादन की समीक्षा के बाद प्रतिवर्ष दोहराए जाने का आदेश दे सकता है।

छ) किसी भी भविष्य की आवश्यकता के लिए, आदेश वाणिज्यिक प्रस्ताव में और इस आरएफपी के लागू शर्तों के अनुसार अनुबंधित मेन-डे दर पर रखा जाएगा। आदेश को स्वीकार करने में विफलता रा.आ.बैंक के विवेक पर, इस आरएफपी के दंड और समाप्ति की शर्तों को आकर्षित करेगी।

10.1 स्वीकृति

स्वीकृति परीक्षण परस्पर स्वीकृत स्वीकृति परीक्षण नक्शे के अनुसार किया जाएगा जिसे अंतिम रूप पीओ जारी करने के बाद दिया जाएगा । नेटवर्क केवल स्वीकृत नक्शे अनुसार स्वीकृति परीक्षण पूरा होने के बाद स्वीकार किया जाएगा और बैंक एवं सेवाप्रदाता द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित/प्रमाणित किया जाएगा । एक बार स्वीकृति परीक्षण पूरा हो जाने के बाद, इस आरएफपी के नियमों और शर्तों के अनुसार, बैंक द्वारा साइन-ऑफ प्रदान किया जाएगा

10.2 भुगतान की शर्तें

निम्नलिखित भुगतान शर्तों के अनुसार किसी भी भुगतान को पीबीजी और एसएलए के हस्ताक्षर के बाद जमा करने के बाद ही जारी किया जाएगा। भुगतान की शर्तें इस प्रकार हैं:

क) सफल कमीशनिंग और स्वीकृति के बाद एकबारगी स्थापना शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

ख) बोलीदाता को तिमाही के अंत के बाद त्रैमासिक समान किस्तों में भुगतान किया जाएगा।

पहली किस्त का भुगतान

क) किसी भी तिमाही का भुगतान टीडीएस / अन्य करों में कटौती और तिमाही से संबंधित लागू दंड के बाद किया जाएगा। सेवा प्रदाता समतुल्य राशि का क्रेडिट नोट जारी करेगा।

ख) परियोजना के लिए लागू कार्य निष्पादन गारंटी के जमा होने के बाद ही जारी किया जाएगा।

10.2 अनुबंध समाप्ति की स्थिति में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में, सेवाओं हेतु भुगतान को आनुपातिक आधार पर किया

जाएगा, अवधि की सेवाओं के लिए, लागू दंड और टीडीएस / अन्य लागू करों में कटौती के बाद किया जाएगा।

10.3 वितरण एवं संस्थापना

बैंक न तो संस्थापना की व्यवस्था करेगा और न ही इसके लिए कोई श्रम शक्ति देगा। मदें संबंधित स्थानों पर बोलीदाताओं को स्वयं की लागत पर वितरित किए जाने चाहिए और बैंक उसी के लिए कोई भुगतान नहीं करेगा। रोड परमिट, वे बिल आदि जहां भी आवश्यक हो, केवल बोलीदाता द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए और बैंक उक्त के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा और न ही उसी के लिए कोई भुगतान करेगा।

10.4 बीमा

क्योंकि अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि के दौरान सुपुर्द किए गए सभी हार्डवेयर का स्वामी बोलीदाता) होगा, अतः सेवाप्रदाता सभी जोखिमों के लिए अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की लोकेशनों के परिसर में अधिष्ठापित नेटवर्क हार्डवेयर की सभी मदों के लिए बीमा कराएगा । बीमा विवरण की प्रति राष्ट्रीय आवास बैंक को उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है ।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:
www.nhb.org.in – What’s New

किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।